सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : (0755)2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 4272644, 4271268

क्र./राशिके/मूल्यांकन/2012/553/Eva — भोपाल, दिनांक 10.2.12

प्रतिभा पर्व तत्काल

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   समस्त जिले, म.प्र.
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,**
   समस्त जिले, म.प्र.
3. **जिला शिक्षा अधिकारी,**
   समस्त जिले, म.प्र.
4. **सहा. आयुक्त, आदि. विकास,**
   समस्त जिले, म.प्र.
5. **प्राचार्य, डाईट/डी.आर.सी.,**
   समस्त जिले
6. **डीपीसी, जिला शिक्षा केन्द्र,**
   समस्त जिले

विषय–प्रतिभा पर्व द्वितीय चरण मूल्यांकन हेतु पूरक निर्देश।

संदर्भ–1.राशिके/मूल्यांकन/2011/11549/ए/भोपाल, दिनांक 24.12.11
2.राशिके/मूल्यांकन/2012/336/भोपाल, दिनांक 10.1.12
3.राशिके/मूल्यांकन/2012/822/भोपाल, दिनांक 20.1.12
4.राशिके/मूल्यांकन/2012/1310/भोपाल, दिनांक 03.2.12
5.राशिके/मूल्यांकन/2012/1308/भोपाल, दिनांक 03.2.12
6.राशिके/मूल्यांकन/2012/1450/भोपाल, दिनांक 08.2.12

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में निम्नानुसार पूरक निर्देश जारी किए जा रहे हैं–

1 प्रतिभा पर्व द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित मूल्यांकन कार्य में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

2 प्रतिभा पर्व मूल्यांकन कार्य हेतु आवश्यक संख्या के मान से जिले के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित किया जाए ताकि 16 फरवरी को ओएमआर शीट से मूल्यांकन की जाने वाली प्रति अधिकारी 2 शालाएं एवं 17 फरवरी को लगभग 3 शालाएं प्रति अधिकारी सत्यापित की जा सकें। इस तरह जिले की शत–प्रतिशत शालाओं में निर्देशानुसार व निर्धारित अवधि में मूल्यांकन व मूल्यांकन उपरांत सत्यापन कार्य संपादित किया जाए।

3 जिन शालाओं में 17 फरवरी को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी 16 फरवरी के मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करने पहुँचेंगे और उनमें मूल्यांकन कार्य में फर्जी/त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के साक्ष्य मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

4 जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय द्वारा मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन अधिकारियों को एसएसए के "पढ़ो–बढ़ो म.प्र." मद से ग्रामीण क्षेत्र हेतु 350/– प्रति दिन प्रति मूल्यांकन अधिकारी के मान से व शहरी क्षेत्र हेतु 150/– प्रति दिन प्रति मूल्यांकन अधिकारी के मान से परिवहन एवं मूल्यांकन कार्य हेतु भुगतान किया जाए।

5 म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जिलों में 12 फरवरी तक ओएमआर शीट पहुँचाने के मुद्रकों को निर्देश दिये गए हैं। निर्धारित दिनांक तक न पहुँचने पर राज्य शिक्षा केन्द्र के मूल्यांकन कक्ष के फोन नं–0755–2552362 पर अनिवार्यतः सूचित करना सुनिश्चित करें, ताकि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

6 16 फरवरी को प्रदेश के समस्त स्कूलों में बच्चों के टेस्ट का समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक रहेगा। प्रातः 10:30 बजे मूल्यांकन अधिकारियों/एसएमसी के सदस्यों की उपस्थिति में प्रश्नपत्र/ओएमआर शीट के पैकेट खोले जाएं एवं 11 बजे तक ओएमआर शीट पर बच्चों व शिक्षकों द्वारा निर्देशानुसार प्रविष्टि की जाए व प्रश्न हल करने हेतु बच्चों को 11 से 1 बजे तक दो घंटे का समय दिया जाए। शेष निर्देश यथावत् रहेंगे।

आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./राशिके/मूल्यांकन/2012/554/Eva **भोपाल, दिनांक 10.2.12**

प्रतिलिपि–

1- समस्त ओआईसी राशिके की ओर सूचनार्थ।
2- पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल